THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The State Government of Kerala had sought financial assistance of Rs. 1.50 lakhs under the Central Plan scheme of "Training Research and Monitoring" for purchase of a computer and its accessories for networking of the office of Commissioner of Civil Supplies in Kerala with the National Informatics Centre. The proposal has been approved and sanctions issued recently for release of Rs. 1.35 lakhs as first instalment of the Grant-in-aid.

Registration of brands of agricultural products

504. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any foreign company applied or got any brands registered for rice, wheat or other agricultural products;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any Indian company also got some brands registered for the above products; if so, the product-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. Both Indian and Foreign Companies have registered/applied for registeration of the same or similar makes in respect of rice, wheat, etc.

(b) and (c) Information is being collected.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और चावल का बिक्री मूल्य

505. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो घोषणानुसार सरकार ने राज्य सरकार को बेचे जाने हेतु गेहूं और चावल की कितनी-कितनी कीमत तय की है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें अपने उपभोक्ताओं को गेहूं और चावल और अधिक मूल्य पर बेचेंगी; और

(घ) यदि हां, तो देश में औसत उपभोक्ता विक्रय मूल्य के संबंध में क्या अनुमान है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) का 29.1.1999 से केवल गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए निम्नानुसार संशोधन किया गया है:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य	
गेहूं	650 रुपये	
चावल साधारण	700 रुपये	केवल जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पूर्व राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू है।
ग्रेड "ए"	905 रुपये	

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को दिए जाने वाले चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करती है। तथापि, उचित दर दुकानों के स्तर पर खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होते है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिए गए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए अंतिम खुदरा निर्गम मूल्य को गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक न हो। जहां तक गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए मूल्यों का संबंध है, राज्य "मार्जिन" को ढुलाई, उचित दर दुकान के व्यापारियों आदि के कमीशन पर होने वाले वास्तविक खर्च तक सीमित कर सकते हैं।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के लिए निर्धारित उचित दर दुकान स्तर के मूल्य विवरण में देखे जा सकते है।

विवरण

(रुपये प्रति किलोग्राम)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर निर्गम मूल्य

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग०रे०नी० गेहूं	चावल	ग०रे०ऊ० गेहूं	चावल ग्रेड ए
1.	आन्ध्र प्रदेश*	—	3.50	7.00	7.50
2.	अ० प्रदेश	3.00	4.00	5.00	उ०न०
3.	असम*	—	3.88-4.00	7.27-7.45	10.00-10.25
4.	बिहार	3.00	4.00	5.12	उ०न०
5.	दिल्ली	—	—	7.00	9.55
6.	गोआ	—	3.95	4.80	उ०न०
7.	गुजरात*	2.00	—	5.20	8.00
8.	हरियाणा	3.00	—	7.00	—
9.	हि० प्रदेश	3.00	—	5.50	उ०न०
10.	जम्मू व कश्मीर*	3.00	4.00	8.00	10.80
11.	कर्नाटक*	2.50	3.50	5.00	7.60
12.	केरल	—	3.90	5.00	7.50
13.	मध्य प्रदेश*	3.00	4.00	5.15-5.25	7.70-7.80
14.	महाराष्ट्र*	3.00	4.00	5.00	7.90
15.	मणिपुर	3.00	4.00	5.00	उ०न०
16.	मेघालय	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०
17.	मिजोरम	3.00	4.00	5.28	7.50
18.	नागालैंड	3.00	4.00	5.10	उ०न०
19.	उडीसा	—$	2.00 और 4.00	5.50	7.85

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर निर्गम मूल्य

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गर०ने०नी० गेहूं	चावल	गर०ने०ऊ० गेहूं	चावल ग्रेड ए
20.	पंजाब	2.58	3.61	4.58	7.25
21.	राजस्थान	3.00	4.00	7.00	9.70
22.	सिक्किम	3.00	4.00	उ० नहीं	उ०न०
23.	तमिलनाडु*	—@ 2.00 और 3.75		5.00	उ०न०
24.	त्रिपुरा	3.00	4.00	7.25	7.70 और 10.00**
25.	उत्तर प्रदेश	3.00	4.00	7.00	9.55
26.	प० बंगाल	3.00	4.00	6.25	8.55
27.	अं० निकोबार द्वीप समूह	3.00	4.00	5.10	7.80
28.	चंडीगढ़	2.78	3.77	4.87	उ०न०
29.	दादरा व नगर हवेली	3.00	4.00	5.00	7.50
30.	दमन व दिव	3.00	4.00	7.60	10.35
31.	लक्षद्वीप	3.00	4.00	7.00	9.55
32.	पांडिचेरी	—	4.00	5.00	उ०न० (साधारण)

ल०सा०वि०प्र० दिल्ली और लक्षद्वीप में शुरू नहीं की गई है।
उ०न०: उपलब्ध नहीं (राज्य सरकार द्वारा सूचित किए जाने हैं)
*: राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडि वहन की जाएगी,
: क्षेत्र-दर-क्षेत्र में भिन्न होते हैं
$: पूर्व-की संसा०वि०प्र० के ब्लाकों में 2.00 रुपये और अन्य क्षेत्रों में 4.00 रुपये
@: चावल साधारण-2.00 रुपये, चावल बढ़िया-3.75 रुपये
**: चावल साधारण-7.70 रु०, चावल बढ़िया-10.00 रुपयें

Impact on Subsidy Bill of Hike in PDS

506. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether despite the sharp hike in PDS prices of rice, wheat, sugar and urea it would have little impact on the subsidy bill of both foodgrains and urea this year;

(b) if so, the fact and details in this regard; and

(c) the steps teken by Government to remove subsidy on foodgrains without affecting common man?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) and (b) The Central Issue Prices (CIP) of wheat and rice have been increased for APL families only w.e.f 29.1.1999 from Rs. 450/- to Rs. 650/- per qtl. for wheat and Rs. 700/- to Rs. 905/- per qtl. for Grade 'A' rice. The CIP of common rice for APL families applicable only to J&K, Himachal Pradesh and hilly areas of N.E. States including Sikkim and Uttar Pradesh has been raised from Rs. 550/- to Rs. 700/- per qt.

The Retail Issue Price of sugar under PDS has been increased from Rs. 11.40 to Rs. 12.00 per Kg. w.e.f. 15.2.1999.